न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/88/2024 रजू दिनांकः 01.07.2024 रजि0 न0 2023/154

अपीलार्थीः–

श्री संदीप कुमार जैमन, निवासी डी–81, इन्द्रा कॉलोनी नागर बगीची के पास, आगरा रोड़, दौसा ग्रामीण, जिला दौसा (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 06.08.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 26.05.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 09.07.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक सम/1317–18 दिनांक 03.07.2024 के द्वारा प्रतिलिपि भेजकर अवगत कराया है, कि प्रथम आवेदन दिनांक 26.05.2024 के संबंध में कार्यालय के पत्रांक 938 दिनांक 13.06.2024 के माध्यम से वांछित सूचना भिजवाने हेतु संबंधित शाखा को लिखा गया है जिसके संबंध में वांछित सूचना अभी अप्राप्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा पत्रांक सम/1317–18 दिनांक 03.07.2024 के द्वारा प्रतिलिपि भेजकर अवगत कराया है कि कार्यालय के पत्रांक 938 दिनांक 13.06.2024 के माध्यम से वांछित बिन्दुवार सूचना/जवाब बिन्दुवार भिजवाने हेतु प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर को लिखा गया है। वांछित सूचना आदिनांक तक अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है, अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)